प्रथम अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा, 2012

केन्द्रीय परीक्षा समिति, बिहार

विधि भाग 1 (पुस्तक रहित)--प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए ।

समय--1.30 घंटे ।

पूर्णांक--100

उत्तीर्णांक--60

PART-'A'/खण्ड--'क'

(Objective type question/वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

Answer all questions. Only ***one*** *answer among alternatives of each question is correct. No negative marks will be given for wrong answer. Each question carries* ***two*** *marks.* 25×2=50

सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है । प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में कोई एक ही सही है । गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक अंक नहीं दिये जायेंगे । प्रत्येक प्रश्न **2** अंक का होगा ।

1. For Criminal Conspiracy the minimum number of persons required is--

(*a*) Seven ☐ (*b*) Five ☐
(*c*) Two ☐ (*d*) Three. ☐

1. आपराधिक षड्यंत्र के लिये न्यूनतम--

(क) सात ☐ (ख) पांच ☐
(ग) दो ☐ (घ) तीन व्यक्ति होना आवश्यक है । ☐

2. Robbery is dacoity if committed conjointly by--

(*a*) More than two person but less than five persons ☐
(*b*) More than five persons or more ☐
(*c*) At least seven persons ☐
(*d*) At least ten persons. ☐

संयुक्त होकर की गई लूट डकैती कहलाती है जब वह:--

(क) दो से अधिक किन्तु पांच से कम ☐ (ख) पांच या उनसे अधिक ☐
(ग) कम-से-कम सात ☐ (घ) कम-से-कम दस व्यक्तियों द्वारा कारित की जाये । ☐

3. For an "Unlawful assembly" the minimum number of persons required is--

(*a*) Ten ☐ (*b*) Seven ☐
(*c*) Five ☐ (*d*) Three. ☐

''अवैध जमाव'' के लिये कम-से-कम:--

(क) दस ☐ (ख) सात ☐
(ग) पांच ☐ (घ) तीन व्यक्तियों का होना आवश्यक है । ☐

4. X knows that y is suffering from a desease in his head and also knows that if a blow is given to Y on his head it is likely to cause his death, X gives a first blow to Y on his head. Y dies. X is:--

P.T.O.

(a) Guilty of culpable homicide not amounting to murder ☐
(b) Guilty of murder ☐
(c) Guilty of causing hurt ☐
(d) Guilty of no offence. ☐

As in ordinary circumstances that blow is not sufficient to cause death of a person of normal health.

X जानता है कि Y सिर की बीमारी से ग्रसित है । वह यह भी जानता है कि यदि Y को सिर पर मुक्का मारा गया तो उसकी मृत्यु संभाव्य है । X मुक्के से Y के सिर पर प्रहार करता है । Y की मृत्यु हो जाती है । X:-

(क) हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाले सदोष मानव वध का दोषी है ☐
(ख) हत्या का दोषी है ☐
(ग) उपहति कारित करने का दोषी है ☐
(घ) किसी अपराध का दोषी नहीं है ☐

क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में मुक्के का प्रहार सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्ति की मृत्युकारित करने के लिये पर्याप्त नहीं है ।

5. Y inserts his hand into the pocket of Z but the pocket was empty. Y is guilty of:-

(a) No offence as the offence was not completed ☐
(b) theft ☐
(c) Mischief ☐
(d) Attempt to theft. ☐

Y ने Z की जेब में अपना हाथ डाल दिया लेकिन जेब खाली थी । तब Y:--

(क) किसी अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि अपराध पूर्ण नहीं हुआ ☐
(ख) चोरी का दोषी है ☐
(ग) रिष्टि का दोषी है ☐
(घ) चोरी के प्रयत्न का दोषी है । ☐

6. Two young ladies X and Y fight with each other. X knowing herself to be likely permanently disfigure Y's face, she inflicts injury with a blade on the face of Y, leaving permanent ugly scar on the cheek of Y. Here X is guilty of causing:--

(a) Simple hurt ☐ (b) Grievous hurt by dangerous means ☐
(c) Attempt to commit murder ☐
(d) Grievous hurt by rash and negligent act. ☐

दो युवतियां X तथा Y आपस में लड़ पड़ी । X ने यह संभाव्य जानते हुए कि वह Y के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर दे, Y के चेहरे पर ब्लेड से प्रहार किया । इससे Y के गाल पर घाव का स्थायी भद्दा चिन्ह बन गया । X दोषी है:

(क) सामान्य उपहति कारित करने की ☐
(ख) खतरनाक साधन द्वारा घोर उपहति कारित करने की ☐
(ग) हत्या के प्रयास की ☐
(घ) उतावले एवं लापरवाही कृत्य द्वारा घोर उपहति कारित करने की । ☐

7. When the injury is intentional and sufficient to cause death in the ordinary course of nature and death follows, the offence is:--

(a) Attempt to murder ☐
(b) Culpable homicide not amounting to murder ☐
(c) murder ☐ (d) Grievous hurt. ☐

7. जब उपहति साशय हो एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्युकारित करने के लिए पर्याप्त हो तथा परिणामस्वरूप मृत्युकारित हुई हो, तो यह अपराध है :--

(क) हत्या का प्रयास ☐
(ख) सदोष मानव बध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता हो ☐
(ग) हत्या ☐ (घ) घोर उपहति । ☐

8. Warrant case has been defined as a case relating to an offence punishable with

death, imprisonment for a life or imprisonment for term--

(a) exceeding one year ☐ (b) exceeding two years ☐

(c) exceeding three years ☐ (d) exceeding seven years. ☐

वारण्ट मामले से अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या--

(क) एक वर्ष से अधिक ☐ (ख) दो वर्ष से अधिक ☐

(ग) तीन वर्ष से अधिक ☐ (घ) सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध से संबंधित है ☐

9. Section 164 Criminal Procedure Code provides a special procedure for recording of--

(a) Confessions ☐

(b) Statements made during the course of investigation ☐

(c) Confessions as well as statements made during the course of investigation ☐

(d) Examination of witnesses by police. ☐

धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में--

(क) संस्वीकृति ☐

(ख) अन्वेषण के दौरान दिया गया कोई कथन ☐

(ग) अन्वेषण के दौरान दी गई संस्वीकृति एवं कोई कथन ☐

(घ) पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा अभिलिखित करने की विशिष्ट प्रक्रिया वर्णित है । ☐

10. When investigation cannot be completed within 24 hours, the largest period for which an accused can be remanded to police custody is--

(a) Ten days ☐ (b) Fifteen days ☐

(c) Thirteen days ☐ (d) Thirty days. ☐

यदि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हो सकता हो तब वह अधिकतम अवधि जिस दौरान अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकेगा--

(क) दस दिन होगी ☐ (ख) पन्द्रह दिन होगी ☐

(ग) तेरह दिन होगी ☐ (घ) तीस दिन होगी । ☐

11. If a magistrate administers oath before recording the confession of an accused, the confessional statement is--

(a) Good in law and admissible in Evidence ☐

(b) Bad in law and inadmissible in Evidence ☐

(c) Good in law but admissible only on corroboration ☐

(d) Bad in law but become admissible on corroboration by other Evidence. ☐

यदि कोई मजिस्ट्रेट अभियुक्त की संस्वीकृति लिखने के पूर्व शपथ दिलाता है, तो ऐसा संस्वीकृतियुक्त कथन--

(क) विधिक होकर साक्ष्य में ग्राह्य होगा ☐

(ख) अविधिक होकर साक्ष्य में अग्राह्य होगा ☐

(ग) विधिक होगा किन्तु केवल संपोषण होने पर ही ग्राह्य होगा ☐

(घ) अविधिक होगा किन्तु अन्य साक्ष्य से संपोषण होने पर ग्राह्य हो जायेगा । ☐

12. When investigation is not completed within the prescribed period of 90 days or 60 days, as the case may be and accused is in custody, on expiry of the said period, if he is prepared to and does furnish bail, the accused is entitled to be--

(a) Discharged ☐

(b) Acquitted ☐

(c) Released on bail by the investigating officer ☐

(d) Released on bail by concerning Magistrate . ☐

जब अभियुक्त अभिरक्षा में हो और अन्वेषण निर्धारित अवधि, यथास्थिति 90 दिन या 60 दिन में पूरा नहीं हो पाया हो और इस अवधि की समाप्ति पर अभियुक्त जमानत देने को तैयार हो और दे देता हो तो वह अधिकारी है--

(क) उन्मोचित किये जाने का ☐ (ख) दोषमुक्त किये जाने का ☐

(ग) विवेचना अधिकारी द्वारा जमानत पर छोड़े जाने का ☐

(घ) संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़े जाने का । ☐

(a) Only High Court (b) Only Sessions Court
(c) Only magistrate (d) Either High court or court of Sessions.

धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जमानत पर छोड़े जाने का निर्देश देने का क्षेत्राधिकार निहित ह--
(क) केवल उच्च न्यायालय में (ख) केवल सत्र न्यायालय में
(ग) केवल मजिस्ट्रेट में (घ) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में ।

14. Compounding of offence under the provisions of Criminal Procedure Code results in that criminal case--
(a) Acquittal of accused
(b) Discharge of accused
(c) Acquittal only if the charges have been framed
(d) Discharge only if the charges have been framed.

14. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपराध के शमन का प्रभाव होगा, उस दाण्डिक मामले में:
(क) अभियुक्त की दोषमुक्ति (ख) अभियुक्त का उन्मोचन
(ग) आरोप विरचित किये जाने पर ही दोषमुक्ति
(घ) आरोप विरचित कर दिये जाने पर ही उन्मोचन ।

15. Period of limitation to take cognizance of an offence punishable for a term more than three years imprisonment is--
(a) 90 days (b) One year
(c) Three years (d) No period of limitation is prescribed.

तीन वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध के संज्ञान के लिये परिसीमा काल होगा--
(क) 90 दिन (ख) एक वर्ष
(ग) तीन वर्ष (घ) किसी परिसीमा काल का प्रावधान नहीं है ।

16. The documents are--
(a) Caricature (b) Words printed, Lithographed or Photographed
(c) A map and an inscription on a stone (d) All of the above.

दस्तावेज हैं--
(क) उपहासांकन (व्यंग्य चित्र) (ख) मुद्रित, शिला-मुद्रित या फोटोचित्रित शब्द
(ग) मानचित्र एवं शिला पर उत्कीर्ण लेख (घ) उपर्युक्त सभी ।

17. Contents of documents may be proved--
(a) By secondary evidence (b) By primary evidence
(c) (A) and (B) both are correct (d) Above all options are incorrect.

दस्तावेजों की अंतर्वस्तु सिद्ध की जा सकेगी--
(क) द्वितीयक साक्ष्य द्वारा (ख) प्राथमिक साक्ष्य द्वारा
(ग) (A) एवं (B) दोनों सही हैं (घ) उपर्युक्त सभी विकल्प असत्य हैं ।

18. Admissions--
(a) Must be in writing (b) Must be oral
(c) Can be either oral or in writing (d) Must be oral and in writing both.

स्वीकृतियां--
(क) लिखित में होनी चाहिये (ख) मौखिक होनी चाहिए
(ग) लिखित या मौखिक दोनों हो सकती हैं (घ) लिखित या मौखिक दोनों होनी चाहिए

19. Facts which need not be proved by the parties, include--
(a) Facts which have been admitted by the parties at or before the hearing
(b) Statements made on oath
(c) Any registered document
(d) Statements made in plaint or in written statement supported by affidavit.

(क) तथ्य जो पक्षकारों द्वारा सुनवाई पर या उसके पूर्व स्वीकृत किये जा चुके हों

(ख) शपथ पर किये गये कथन

(ग) कोई भी पंजीकृत दस्तावेज

(घ) वाद-पत्र या जवाब दावे में किये गये शपथ-पत्र से समर्थित कथन ।

20. Under Indian Evidence Act, a documemt required by law to be attested, can be proved by calling--

(a) Two of the attesting witnesses

(b) At least one of the attesting witness

(c) Any other person

(d) A legal heir of the attesting witness.

कोई दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, भारतीय साक्ष्य विधान के अन्तर्गत सिद्ध किया जा सकता है--

(क) केवल दो अनुप्रमाणक साक्षियों के बुलाकर

(ख) कम-से-कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाकर

(ग) किसी अन्य व्यक्ति को बुलाकर

(घ) अनुप्रमाणक साक्षी के वैधानिक उत्तराधिकारी को बुलाकर ।

21. Leading questions can be asked during--

(a) Examination-in-chief (b) Cross-examination

(c) Re-examination (d) Cannot be asked in any circumstances

सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं--

(क) मुख्य परीक्षा के दौरान (ख) प्रतिपरीक्षा के दौरान

(ग) पुन: परीक्षा के दौरान (घ) किसी भी परिस्थिति में नहीं ।

22. Age of minor for kidnapping should be--

(a) Under 16 years

(b) Under 18 years

(c) Under 16 years of age if a male and under 18 years of age if a female

(d) Under 21 years of age if a male and under 18 years of age if a female.

व्यपहरण के लिए अवयस्क की आयु होनी चाहिए--

(क) सोलह वर्ष के अन्दर

(ख) अठारह वर्ष के अन्दर

(ग) पुरुष है तो सोलह वर्ष और महिला है तो अठारह वर्ष के अन्दर

(घ) पुरुष है तो इक्कीस वर्ष और महिला है तो अठारह वर्ष के अन्दर ।

23. X and Y both go to murder Z. X stands on guard with a spear in hand but does not hit Z at all. Y kills Z--

(a) Only Y is liable for murder of Z

(b) X and Y both are liable for murder of Z

(c) X is not liable as he does not perform any over to Act

(d) (a) and (c) both are correct.

X एवं Y दोनों Z की हत्या करने जाते हैं । X हाथ में भाला लिये चौकन्ना खड़ा रहता है, वह Z पर कोई वार नहीं करता । Y, Z को मार डालता है--

(क) Z की हत्या के लिये केवल Y दोषी है

(ख) Z की हत्या के लिये X और Y दोनों दोषी है

(ग) X ने वार नहीं किया इसलिये वह दोषी नहीं है

(घ) (a) और (c) दोनों उत्तर सही है ।

24. X is at work with hatchet, the head of hatchet flies off and kills a man Y who stands by. Here, if there is no want of proper caution on the part of X, his act is--

(a) Not excusable and an offence ☐

(b) Not excusable and not an offence ☐

(c) An offence but benefit of probation is necessary ☐

(d) An offence or not depends on the sweet will of the legal representative of deceased. ☐

X कुल्हाड़ी से काम कर रहा है । कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा व्यक्ति Y उससे मारा जाता है । यहां यदि X की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो X का कृत्य--

(क) क्षमा योग्य नहीं है एवं अपराध है ☐

(ख) क्षमा योग्य है एवं अपराध नहीं है ☐

(ग) अपराध है लेकिन परिवीक्षा का लाभ देना अनिवार्य है ☐

(घ) मृतक के विधिक प्रतिनिधि की इच्छा पर निर्भर करेगा कि यह अपराध है अथवा नहीं । ☐

25. The right of private defence of the body--

(a) Commences as soon as reasonble apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offence and it continues as long as such apprehension of the danger to the body continues ☐

(b) Commences as soon as reasonble apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offence and it continues even after that apprehension ceases ☐

(c) Commences only when the assault is actually done and continues during the period of assault ☐

(d) Commences only when the assault is actually done and continues even after the assilant has left. ☐

शरीर की प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार--

(क) उसी क्षण प्रारम्भ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है और तबतक बना रहता है जबतक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है ☐

(ख) उसी क्षण प्रारम्भ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है और ऐसी आशंका समाप्त होने के बाद भी बना रहता है ☐

(ग) जब वास्तव में हमला कर दिया जाये तब प्रारम्भ होता है और हमले की अवधि तक बना रहता है ☐

(घ) जब वास्तव में हमला कर दिया जाये तब प्रारम्भ होता है और हमलावर के चले जाने के बाद भी बना रहता है । ☐

PART-B/खण्ड--"ख"

(Short answer type question/लघु-उत्तरीय प्रश्न)

*Answer any **4 (four)** questions. Answer of each question should be given in about 100 words. Each question carries 5 marks.* 4×5=20

किन्हीं **चार** प्रश्नों का उत्तर दें । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दें । प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा।

1. Estoppel	निबंधन
2. Complaint and Information	परिवाद एवं इत्तला/सूचना
3. Judicial Notice.	न्यायिक सूचना
4. Seizure List	जब्ती सूची
5. Inquest Report	मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन
6. Victim	पीड़ित

PART-C/खण्ड--ग

(Long answer type question/दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न)

Answer any **Two** questions. Each question carries 15 marks. 2×15=30

किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दें । प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा

1. Define culpable homicide. In what circumstances will culpable homicide amounts to murder ? Discuss.

आपराधिक मानव वध को परिभाषित करें । उन परिस्थितियों की व्याख्या करें जब आपराधिक मानव वध हत्या का अपराध हो जाता है ।

2. Who has got the powers of summary trial ? Which offences can be tried summarily? Elaborate.

संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसे प्राप्त है ? किन अपराधों में संक्षिप्त विचारण हो सकता है? व्याख्या करें ।

3. Discuss duties of a Police Officer under the Police Act, 1861.

पुलिस अधिनियम, 1861 के अन्तर्गत पुलिस पदाधिकारियों के कर्त्तव्य की विवेचना करें ।